

## कार्यालय नगर परिषद् जालोर (राजस्थान)

90-ए के तहत आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना

01. आवेदक का नाम .....
02. आवेदन पत्र मय शपथपत्र .....
03. क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र .....
04. कृषि भूमि जमाबन्दी (जिल्हे व्यानेश्वर के पास) .....
05. प्रार्थी आवेदक की पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र) | आच्छारमाई
06. खसरा मिलान क्षैत्रफल
07. खसरा प्लान
08. ब्लू प्रिन्ट प्लोट का नक्शा-04 प्रतियो में
09. की-प्लान नक्शा
10. जमाबन्दी से लिंक (जुड़ी) दस्तावेज (संबंधित इकरारनामा, बेचान रजि. आवेदककर्ता तक)
11. स्वीकृत स्कीम प्लान प्रति (नगर परिषद् से स्वीकृत)
12. न्यायालय में विवादित भूमि न होने का शपथपत्र
13. नगर परिषद् जालोर के नाम At Disposal जमाबन्दी
14. स्वयं के मोबाईल नम्बर/सम्पर्क सुत्र
15. उपरोक्त दस्तावेज 02 प्रतियों में प्रस्तुत करे।

अनुज्ञा और आवंटन के लिए आवेदन

प्रेषिती,  
प्राधिकृत अधिकारी

फोटो

विषय : गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन के लिए आवेदन।

श्रीमान्,

मैं/हम गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए राजस्थान भू-राज २१ अधिनियम, 1956 की धारा ९०-के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं, जिसकी विविधता निम्नानुसार है:-

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. आवेदक के व्यौरे</p> <p>(क) नाम .....</p> <p>(ख) पिता/पति का नाम .....</p> <p>(ग) पूरा पता .....</p>  | <p>2. क्षेत्र का व्योरा जिसके लिए आवेदन किया गया</p> <p>(क) ग्राम और तहसील का नाम .....</p> <p>(ख) खसरा सं. और क्षेत्र .....</p> |
| <p>3. आवेदक के साथ संलग्नक</p> <p>(क) सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत/स्टाम्पित मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति, यदि आवेदन अन्य व्यक्तियों की ओर से फाइल किया जाता है।</p> <p>(ख) रजिस्ट्रीकरण की प्रमाणित प्रति (फर्म/संस्था/कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)</p> <p>(ग) संगम ज्ञापन/संगम अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (कम्पनी के आवेदक होने की दशा में)</p> <p>(घ) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम 200 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)</p> <p>(ड.) जहां कहीं अपेक्षित हो, भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति।</p> <p>(च) रवामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जैसे विक्रय विलेख इत्यादि और आवेदित भूमि के व्यौरे।</p> <p>(छ) प्रलप-2 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित शपथ पत्र।</p> <p>(ज) प्रलप-3 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र।</p> <p>(झ) जमावंदी की नवीनतम प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)</p> <p>(ज) अभिन्यास योजना और मार्क्ट-योजना, सेक्टर योजना (यदि कोई हो) पर खसरा अध्यारेपण।</p> <p>(ट) खसरा मानचित्र का अनुरेख</p> <p>(ठ) अभिन्यास योजना (एकल पट्टे की दशा में रथल योजना)</p> <p>(ड) की-प्लान</p> <p>(ढ) सर्वेक्षण नवशा</p> <p>(ण) प्रलप-4 में क्षेत्र संगणना के व्यौरे।</p> <p>(त) खातेदार/आवेदक की पहचान का सबूत</p> |  |

4. प्रयोजन जिसके लिए भूमि का उपयोग विद्या जायेगा।
5. वहा भूसंपत्ति मामा में कोई एचटी/एलटी लाइन या ट्रान्सफार्मर है।
6. कथा आवेदित भूमि अर्जन के अधीन है।
7. कथा आवेदित भूमि के संबंध में नगर भूमि (अधिकातम सीमा और विनियम) अधिनियम 1976 के अधीन कार्यवाहियां लम्बित हैं।
8. कथा भूमि अधिरोप घोषित की गई है या जिसके लिए राजरथान कृषि जोतों पर अधिकातम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 या राजरथान अभिधृति अधिनियम, 1955 के निरसित अध्याय III ख. के अधीन कार्यवाहियां लम्बित हैं।
9. कथा भूमि देवता, देवरथान विभाग, कोई लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संरथा या किसी वक्फ से संबंधित है।
10. रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य किसी संडक से दूरी
11. (क) लम्बित न्यायालय मामले (यदि कोई हो)
- (ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आवेदन या व्यावेश के ब्यौरे
12. आवेदित भूमि की पहुंच संडक की चौड़ाई।
13. मार्टर योजना/सेक्टर योजना/संडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के अधीन आने वाली भूमि का क्षेत्र जो निःशुल्क ~ अभ्यर्पित किया जाना है।
14. (प्रलप-4 के अनुसार) शुद्ध क्षेत्र जिसके लिए अभिन्यास योजना जारी की जानी है।
15. संदेय प्रीमियम प्रभारों की दर
16. चालान की सं. और तारीख और नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन संदाय करने के लिए रकम (चालान की प्रति संलग्न की जाये)
17. कोई अन्य सुसंगत सूचना
18. दरतावेजों की कुल संख्या
19. पृष्ठों की कुल संख्या
20. मद सं. 3 और 16 में वर्णित संलग्नकों के साथ आवेदन की सॉफ्ट कॉपी
21. आवेदन की तारीख

### घोषणा

1. मैं/हम इसके द्वारा प्रभागित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टयां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
2. यह घोषणा की जाती है कि शापथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और उक्त घर्जित दरतावेजों के साथ आवेदन ..... प्रयोजन (गैर कृषि उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत है। मैं/हम उक्त गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के लिए मेरे/हमारे अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने का/के इच्छुक हूँ/हैं। यतः मुझे/हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान करें।
3. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि जिसके लिए गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुज्ञा चाही गई है, राजरथान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक का पता

.....

.....

संपर्क संख्याक  
और ई-मेल पता

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

प्राप्ति

आवेदक ..... ने दिनांक ..... को आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक ..... को रजिस्टर में सं. ..... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है। मामला लागू नियमों के अनुसार प्रक्रियागत और निपटाया जायेगा। वैठक की तारीख और अतिरिक्त दरतावेजों संबंधी जानकारी, यदि कोई हो, 15 दिन के भीतर या तो दूरभाष पर सूचित की जायेगी या रथानीय प्राधिकारी की वैव-साईट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

प्राप्तकर्ता/प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रणय-2  
(नियम-4 (1) देखिए)

शपथ पत्र

मैं/हम श्री ..... पुत्र श्री .....

आयु ..... निवासी .....

ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं:-

- कि मैं/हम निम्नानुसार रूप में वर्णित भूमि का/के खातेदार हूँ/हैं और आवेदन प्रस्तुति में गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति देने के लिए आवेदित ऐसी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवृत्त नहीं है और भूमि समर्त विलंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.सं.	भूमि के व्यौरे (ग्राम और खसरा सं.)	क्षेत्र

- कि मैं/हम सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार और आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए अपने अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करवाने का/के इच्छुक हूँ/हैं।
- कि मैं/हम इसके द्वारा रथानीय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समर्त शोध्य और रकम का संदाय करने के लिए पाबंद रहूँगा/रहेंगे।
- कि भूखण्ड/भूमि या भवन का कोई विक्रय, रथानीय प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना और रथानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदित भूमि की अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पूर्व नहीं किया जायेगा।
- कि आवेदकों द्वारा राज्य सरकार और रथानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी समर्त निर्देशों और आदेशों का पालन किया जायेगा।
- कि आवेदित भूमि के लिए प्रयुक्ति की जायेगी और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार और रथानीय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार विकसित की जायेगी।
- कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- कि मैं/हम इसके द्वारा सुसंगत भवन उप-विधियों, विनियमों, रथानीय प्राधिकारी पर लागू नियमों के उपबन्धों का अनुकरण और पालन करूँगा/करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 7 तक की अन्तर्वर्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

मेरे द्वारा पहचान किया गया

फोटो

क्षतिपूर्ति बंधानन्त्र

फोटो

मैं/हम श्री ..... पुत्र श्री ..... आयु .....  
निवासी ..... ग्राम ..... तहसील .....  
जिला .....।

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूँ/लेते हैं और क्षतिपूर्ति करता हूँ/करते हैं:-

- कि मैं/हम इसके नीचे घण्ठित भूमि, जिसके लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-के अधीन गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए अनुज्ञा/संपरिवर्तित भूमि के आंवटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के खातेदार हूँ/हैं।

क्र.सं.	भूमि के व्यौरे (ग्राम और खसरा सं.)	क्षेत्र

- कि मैं/हम मामले में रथानीय प्राधिकारी द्वारा मंजूर अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए रथानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को पाबंद करता हूँ/है।
- कि मैं/हम स्कीम के अनुसोदन के कारण मामले में पैदा हुए किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप से कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए रथानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं को पाबंद करता हूँ/है।
- कि रथानीय प्राधिकारी को आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की स्कीम को निरस्त करने और अनुज्ञा को प्रत्याहृत करने का अधिकार नोगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

### क्षेत्र संगणना रूपविधान

क. एकल पट्टा मामले

(क) कुल भूखण्ड क्षेत्र की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है

क्र.सं.	विशिष्टयां	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	कुल क्षेत्र		
2.	सेक्टर सड़क/मार्टर योजना सड़क/राजमार्ग इत्यादि के अधीन क्षेत्र (आवेदक से अभ्यर्पण विलेख लिया जायेगा)		
3.	सेक्टर/मार्टर योजना का 'पांच प्रतिशत की दर से सुविधा क्षेत्र (यदि लागू हो) आवेदक से अभ्यर्पण विलेख लिया जायेगा)		
	शुद्ध भूखण्ड क्षेत्र (1+2+3)		

क. रकीम भूखण्ड क्षेत्र के ब्यौरे

(क) कुल भूखण्ड की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है

क्र.सं.	विशिष्टयां	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	आवासिक/औद्योगिक/संरथानिक/फार्म हाउस/रिसोर्ट या कोई अन्य विशेष टाउनशिप भूखण्ड क्षेत्र		
2.	वाणिज्यिक क्षेत्र (अनोन्नारिक सेक्टर)		
3.	वाणिज्यिक क्षेत्र सामान्य		
4.	सेक्टर सड़कों को सम्मिलित करते हुए सड़क अधीन क्षेत्र		
5.	पार्क/खुले रथान/रोपण गलियारा		
6.	सुविधा के लिए आरक्षित क्षेत्र		
	कुल क्षेत्र		

प्रकल्प-4 भाग (व)

ग. रकीम के लिए भूखण्डों के व्यौरे

क्र.सं.	व्यौरा क सं.	भूखण्ड सं.	क्षेत्र वर्गमीटर में	क्षेत्र वर्गगति में
	कुल क्षेत्र			

आयोदक के हस्ताक्षर